प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 374/1990

मुन्ना उर्फ रघुनंदन
बनाम
मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

दाण्डिक अपील क्रमांक 552/1990– (सह निर्णय)
राजू बनाम मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

खण्ड न्याय–पीठ :

माननीय श्री फ़ख़रुद्दीन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
एवं माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, एवं श्री नीरज मेहता, अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से और श्री एम.पी.एस. भाटिया, राज्य –लोक अभियोजक।

निर्णय (दिनांक 8/11/2005 को उच्चारित)

द्वारा – माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

आपराधिक अपील क्रमांक ***374/1990** मुन्ना उर्फ रघुनंदन* औरदाण्डिकअपील क्रमांक ***552/1990** राजू* द्वारा सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर **–सत्र प्रकरण क्रमांक *64/1988*** में दिनांक 30 जनवरी 1990 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें अपीलकर्ता राजू को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संतोष कुमार की हत्या का दोषी पाया गया तथा अपीलकर्ता मुन्ना उर्फ रघुनंदन को धारा 302/34 भा. द. सं. – राजू के साथ *'सामान्य आशय'* के तहत तहत संतोष कुमार की हत्या करने के लिए दोषी करार दिया गया एवं दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

2. सह–अभियुक्त दिनेश जायसवाल जो इस प्रकरण में सह–अभियुक्त था, पूरे विचरण के दौरान *फ़रार* रहा, एवं उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत कार्यवाही की गई। अपीलकर्ता राजू, अपनी सजा पूरी करने के उपरांत 18 दिसंबर 2002 को गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर विशेष छूट प्राप्त कर केंद्रीय जेल से रिहा हुआ।

3. स्वीकार्य रूप से सभी अभियुक्त राजू, मुन्ना व सह अभियुक्त दिनेश मानव मंदिर होटल, गौरेला में कार्यरत थे और सिंहल टोला, गौरेला में जहाँ मृतक संतोष, धनेश्वर अ.सा. *2* और बलराम *अ.सा.* 7 भी रहते थे, सभी अभियुक्त एक ही घर में धनेश्वर अ.सा. 2 , बलराम *अ.सा.* 7 और मृतक संतोष के *साथ* रहते थे।

4. अभियोजन कथानुसार *13–14 नवम्बर 1987* की *दर्मियानी रात* संतोष उसी कमरे में सो रहा था जहाँ राजू सोया करता था, जिस कारण से अपीलार्थियों, सह अभियुक्त दिनेश जायसवाल और मृतक संतोष के मध्य झगड़ा हुआ। 14 और 15 नवंबर 1987 की मध्यरात्रि में मृतक संतोष, धनेश्वर *अ.सा.* 2 और बलराम *अ.सा.* 7 एक ही कमरे में सो रहे थे तभी लगभग रात 2 बजे अपीलकर्ता राजू, मुन्ना तथा सह–अभियुक्त दिनेश वहाँ आए तब अपीलकर्ता राजू ने *सुप्त अवस्था में* संतोष को लात मारी जिससे संतोष और राजू के बीच झगड़ा–झंझट हुआ और इस दौरान अपीलकर्ता एवं सह–अभियुक्त दिनेश ने संतोष को *मुक्कों* से पीटा, जिससे संतोष गिर पड़ा। इसी समय राजू ने चाकू निकाला और संतोष के सीने, पीठ व हाथ में *कई* वार किए। संतोष की मौके पर ही *मृत्यु* हो गई। धनेश्वर *अ.सा. 2* एवं बलराम *अ.सा. 7* ने यह घटनाक्रम देखा । जब उन्होंने बीच–बचाव करने का प्रयास किया, तब अपीलकर्ताओं ने उन्हें मारने की धमकी दी। उन्होंने शोर मचाया, जिस पर पेटला *अ.सा. 1* घटनास्थल पर पहुँचा तब अपीलकर्ता एवं सह–अभियुक्त दिनेश वहाँ से भाग गए ।

5. धनेश्वर *अ.सा. 2* ने प्रातः *8:30 बजे, थाना –गौरेला* में, जो कि घटना स्थल से लगभग दो किलोमीटर दूर है, प्र.सू.प्र संख्या *प्रदर्श पी.1* दर्ज कराई। उपनिरीक्षक आर.सी. मिश्रा ने *मर्ग/'आकस्मिक मृत्यु सूचना' – प्रदर्श पी. 7* लिखी, घटना स्थल पर पहुंचकर *'शव पंचनामा '–प्रदर्श पी. 9* तैयार किया एवं संतोष के शव को *शव परीक्षण* हेतु भेजा। डॉ. एम.पी. खरे *अ.सा. 5,* जिन्होंने *'मर्ग परीक्षा* 'की, ने संतोष के शव पर **निम्नलिखित चोटें पाईं :**

i. *दाहिनी पीठ* पर एक *छिद्रनुमा घाव* है, जो बीच की रेखा से *1.5 सेंटीमीटर* दूर और *दाहिने पखले* (स्कैपुला) के नीचे वाले कोने से *13.5 सेंटीमीटर* दूर है। घाव *लंबवत दिशा* में है, जिसकी लंबाई *2.5 सेंटीमीटर* और चौड़ाई *0.75 सेंटीमीटर* है। घाव के किनारे साफ कटे हुए, अंदर की ओर मुड़े हुए और खून लगे हुए हैं। यह घाव दाहिनी पेट की गुहा से जुड़ा हुआ है, जो *मेरुदंड (रीढ़ की हड्डी)* से *3 सेंटीमीटर* दाहिनी ओर, 9 वीं और 10 वीं पसली के बीच पीछे की तरफ है। घाव के आस–पास की *मांसपेशियों* में जमा हुआ खून पाया गया जो तिरछा, पार्श्व और आगे की ओर फैला हुआ है *बाएं ऊपरी बांह* पर *3.2 सेमी. x 0.75 सेमी.* के एक गहरे चीर–फाड़ वाले घाव, जो मध्य भाग के अंदरूनी पहलू पर था, किनारे साफ कटे हुए, अंदर की ओर मुड़े हुए एवं रक्त से सने थे।

ii. दाहिनी पीठ के घाव संख्या *1* से *9.5 सेंटीमीटर नीचे* एक चीरा हुआ दोनों सिरों पर संकरा–घाव स्थित है जिसकी लंबाई *2.5 सेंटीमीटर* और चौड़ाई *0.75* सेंटीमीटर है, घाव के किनारे साफ कटे हुए और *रक्त से सने* हुए हैं। यह घाव 6 सेंटीमीटर *गहरा* है और दाहिने निचले *पीठ* के *मांसपेशियों* से पीछे और नीचे की ओर गुज़रता है। घाव के आसपास के *मांसपेशियों* में *जमा हुआ रक्त* पाया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

iii. बाएं *बगल* की पिछले हिस्से की सिलवट पर *एक चीरा हुआ घाव* स्थित है, जो बाएं *कंधे* के सिरे से *17 सेंटीमीटर* दूर है, इसकी लंबाई *2.5 सेंटीमीटर* और चौड़ाई *बीच में 0.75 सेंटीमीटर* है, जो दोनों सिरों पर तीव्र (न्यून) कोण बनाते हुए संकरी हो जाती है। घाव के किनारे साफ कटे हुए, अंदर की ओर मुड़े हुए और *खून के धब्बे* –युक्त हैं। घाव के आसपास की मांसपेशियों में बड़ी मात्रा में *जमा हुआ खून* पाया गया है।

iv. दाहिनी आगे की *छाती* पर, दाहिने निप्पल से *1 सेंटीमीटर* नीचे और मध्य की ओर एक छिद्रनुमा घाव स्थित है। यह घाव आड़ा स्थित है, जिसकी लंबाई *2.5 सेंटीमीटर* और चौड़ाई *0.75 सेंटीमीटर* है, जो दोनों सिरों पर संकरी होकर तीव्र (न्यून) कोण बनाता है। घाव के किनारे साफ कटे हुए, अंदर की ओर मुड़े हुए और *खून के धब्बे* –युक्त हैं । यह घाव दाहिनी ओर की *वक्षीय गुहा* से जुड़ा हुआ है और *फेफड़े* के मध्य तथा निचले खंड तक पहुंचता है। दाहिनी आगे– पीछे पसली की *मांसपेशियों* में बड़ी मात्रा में *जमा हुआ रक्त* पाया गया है।

v. बाएं ऊपरी बांह पर *आर–पार गया हुआ चीरा* स्थित है। प्रवेश घाव बाएं ऊपरी बांह के मध्यवर्ती भाग में मध्य में स्थित है, जिसकी माप *2.75 सेंटीमीटर × 0.75* सेंटीमीटर है। इस घाव के किनारे साफ कटे हुए, *अंदर की ओर मुड़े हुए* और रक्तरंजित हैं। निकास घाव बाएं ऊपरी बांह के पार्श्वीय/ पीछे भाग में स्थित है, जो बाएं कंधे के सिरे से *15 सेंटीमीटर* दूर है। इस घाव के किनारे भी साफ कटे हुए, बाहर की ओर उभरे हुए तथा *खून के धब्बे* –युक्त हैं । आसपास की मांसपेशियों में *रक्त का थक्का* पाया गया।

डॉ. खरे *अ.सा. 5* ने अपने मत में कहा कि उपर्युक्त सभी चोटें मृत्युपूर्व थीं और धारदार हथियार द्वारा करित की गई थीं । छेददार घावों (घाव संख्या 1 एवं संख्या 4) के कारण हुए *सदमे* एवं *अत्यधिक–रक्तस्राव* को मृत्यु का कारण माना गया । उप निरीक्षक आर.सी. मिश्रा ने घटनास्थल से खून से सना चाकू *जब्त* किया। जांच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ताओं के साथ सह–अभियुक्त दिनेश पर भा. द. सं. की धारा 302 के साथ 34 के तहत मुकदमा चलाया गया।

6. अभियुक्त मुन्ना तथा राजू ने दोष से इंकार किया, *निर्दोष* होने का अभिवाक किया तथा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । वहीं अभियोजन ने आठ गवाहों को प्रस्तुत किया। विचारण न्यायाधीश ने पेटला *अ.सा. 1*, धनेश्वर *अ.सा. 2*, बालराम *अ.सा. 7* के *न्यायालीन कथन* तथा डॉ. एम.पी. खरे *अ.सा. 5* के *चिकित्सकीय साक्ष्य* के आधार पर अभियुक्त मुन्ना एवं राजू को दोषसिद्धि करते हुए दण्डादेश दिया जैसा की कंडिका 1 में वर्णित है ।

7. अपीलकर्ता की ओर से *वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह*, ने तर्क दिया कि अभियुक्त मुन्ना के विरुद्ध कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि उसने सह–अभियुक्त राजू के साथ संतोष की हत्या का *सामान्य आशय* रखा था। घटना देर रात की थी, कमरे में पूर्ण अंधेरा था। अभियुक्त अपने कार्य से निवृत्त होकर घर जो कि घटना स्थल था, सोने गए थे। अभियुक्तों के बीच कोई *पूर्व वैमनस्य या हत्या का*

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कारण नहीं था। *मामूली विवाद* के कारण सह–अभियुक्त राजू ने अचानक चाकू निकाला और संतोष कुमार पर वार किया। यह *एकल घटना* थी, जिसमें अभियुक्त मुन्ना की कोई *पूर्व संधि* नहीं थी । बालराम *अ.सा. 7* का यह कथन कि राजू द्वारा बार–बार हमला किए जाते समय पर मुन्ना संतोष को पकड़े हुए था, *अविश्वसनीय* है क्योंकि पुलिस के समक्ष धारा 161 *दं.प्र.सं* के तहत ऐसी कोई बात दर्ज नहीं है, या फिर धनेश्वर *अ.सा.* 2 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट *(प्रदर्श पत्र–1)* में भी नहीं कहा गया था। *मित्तर सेन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, A.L.R. 1976 S.C. 1156, रामबिलास सिंह बनाम बिहार राज्य, A.I.R. 1989 S.C. 1593 और कशमीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य, A.I.R. 1994 S.C. 1651* के निर्णयों पर भरोसा जताया । जहाँ तक अभियुक्त राजू का सवाल है, उसकी अपील *शैक्षिक महत्व* की ही है क्योंकि अपीलकर्ता—राजू को दण्डावधि पूर्ण करने के उपरांत *दंड का परिहार* प्रदान किए जाने के पश्चात् रिहा कर दिया गया था। वहीं, राज्य के पैनल अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने आर.सी. मिश्रा के प्रकरण में आक्षेपित निर्णय के पक्ष में *रमेश सिंह उर्फ फोटी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, A.I.R. 2004 S.C. 4545* के निर्णय का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त मुन्ना द्वारा मृतक को पकड़े रहना तथा सह–अभियुक्त राजू द्वारा हमला करने से रोकने का कोई प्रयास न करने से, यह अभेद्य और अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि उसने सह–अभियुक्त राजू के साथ हत्या करने का *सामान्य आशय* रखा था।

8. हमने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना है एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 64/1988 के अभिलेख का अवलोकन किया। गवाह बलराम अ.सा. *7* एवं धनेश्वर अ.सा. *2* का साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि घटना से एक दिन पूर्व रात्रि में एक *तुच्छ बात* को लेकर अचानक विवाद हुआ, जिसमें अभियुक्तगण – राजू और मुन्ना का संतोष के साथ *झगड़ा* हुआ। बलराम अ.सा. 7 ने यह साक्ष्य दी है कि अगले दिन रात्रि को जब वे कमरे में सो रहे थे, तब रात्रि लगभग 2:00 बजे अभियुक्तगण राजू, मुन्ना और सहअभियुक्त दिनेश वहाँ आए और उन्होंने संतोष के साथ झगड़ा प्रारंभ किया। अभियुक्त राजू ने चाकू से संतोष पर प्रहार करना प्रारंभ किया, जबकि अभियुक्त मुन्ना एवं सहअभियुक्त दिनेश ने संतोष को पकड़ रखा था। जब उन्होंने संतोष को छुड़ाने का प्रयास किया, तो अभियुक्तगण ने धमकी दी कि यदि वे हस्तक्षेप करेंगे, तो उन्हें भी मारा जाएगा। बलराम अ.सा. *7* की यह साक्ष्य कि अभियुक्त राजू ने संतोष पर चाकू से प्रहार किया, इसकी पुष्टि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दिनांक 15.11.1987 थाना गौरेला में धनेश्वर अ.सा. *2* द्वारा की गई रिपोर्ट तथा चिकित्सक डॉ. एम.पी. खरे अ.सा. *5* की चिकित्सीय साक्ष्य से होती है। अभियुक्त राजू द्वारा बलराम अ.सा. *7* की प्रति–परीक्षण के दौरान ऐसी कोई बात उजागर नहीं की गई जिससे उनके उपर्युक्त साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा सके। डॉ. खरे अ.सा. *5* की साक्ष्य से यह *संदेह से परे* सिद्ध होता है कि मृतक संतोष पर चाकू से कई बार *निर्ममता पूर्वक प्रहार* किए गए, जिससे उसे *आघात के कारण रक्तस्राव और सदमे* से मृत्यु हुई। मृतक के शरीर पर दो *विद्ध घाव* प्रमुख भागों पर पाए गए। बलराम अ.सा. *7* की घटनास्थल पर उपस्थिति स्वाभाविक प्रतीत होती है। अभियुक्तों के प्रति उसकी कोई वैमनस्यता नहीं है और झूठा फँसाने का कोई कारण भी नहीं था ।

9. बलराम अ.सा. *7*, डॉ. एम.पी. खरे अ.सा. *5* एवं प्र.सू.प्र अ.सा. *1* के सम्यक् परीक्षण के पश्चात्, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत संतोष की हत्या का *दोषी* ठहराकर जो दंडादेश पारित किया गया, वह *विधिसंगत* है।

10. अब इस *अपील* में एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त मुन्ना को अभियुक्त *राजू* के कृत्य के लिए *सामूहिक उत्तरदायित्व (सह–अपराधिता)* के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है? जहाँ तक *धनेश्वर*

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अ.सा. *2* की बात है, वह घटनास्थल पर उपस्थित था, परंतु उसने यह नहीं कहा कि अभियुक्त *मुन्ना* ने *संतोष* को पकड़ा था जिस पर *राजू* चाकू से प्रहार कर सके। उनके अनुसार अभियुक्तगण – *राजू, मुन्ना* और सहअभियुक्त *दिनेश,* तीनों *संतोष* से झगड़ रहे थे। घटनास्थल अभियुक्तगण का निवास स्थान था, जहाँ वे सामान्य रूप से सोने जाते थे। प्रतीत होता है कि पूर्व दिवस हुई तुच्छ घटना ने उस समय उग्र रूप धारण कर लिया जब *राजू* का पैर मृतक से टकराया और मृतक ने अपशब्द कहे। *बलराम* अ.सा. *7* ने कहीं यह नहीं कहा कि अभियुक्त *राजू* कमरे में पहले से चाकू लहराते हुए आया था। *धनेश्वर* अ.सा. *2* द्वारा दी गई प्र.सू.प्र में कहीं नहीं कहा गया कि अभियुक्तों ने *संतोष* को पकड़ा था, जबकि *राजू* चाकू से वार कर रहा था। अतः *बलराम* अ.सा. *7* की यह साक्ष्य कि अभियुक्त *मुन्ना* एवं सहअभियुक्त *दिनेश* ने *संतोष* को पकड़ा था, जब अभियुक्त *राजू* चाकू से वार कर रहा था, अभियोजन कथा में एक परवर्ती सुधार है, जो विश्वास योग्य नहीं प्रतीत होती। यह बलराम अ.सा. *7* के पूर्ववर्ती कथन में एक महत्वपूर्ण चूक है। उपनिरीक्षक आर.सी. मिश्रा अ.सा. *8* ने *प्रति–परीक्षण* में स्पष्ट रूप से कहा है कि *बलराम* ने धारा 161 दं.प्र.सं के अंतर्गत दर्ज कथन *(प्र. D –2)* में यह बात नहीं कही थी कि अभियुक्त *मुन्ना* एवं सह–अभियुक्त *दिनेश* ने *संतोष* को पकड़ा था जब अभियुक्त *राजू* चाकू से उस पर प्रहार कर रहा था ।

11. अभियुक्तगण की मृतक *संतोष* से पूर्व में कोई *शत्रुता* नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि घटना से एक दिन पूर्व किसी *तुच्छ कारण* से उत्पन्न विवाद — जिसमें अभियुक्त *राजू* ने सुप्त हुए *संतोष* के पाँव पर पैर रख दिया था, ने अगले दिन उस समय विवाद को जन्म दिया जब *राजू* ने सुप्त हुए *संतोष* को लात मारी। अभियोजन साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं होता कि अभियुक्त *मुन्ना* को यह ज्ञान था कि अभियुक्त *राजू* के पास चाकू है। ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है कि अभियुक्त *राजू* चाकू लहराते हुए कमरे में घुसा था। ऐसा प्रतीत होता है कि *राजू* अचानक इतना उत्तेजित हो गया कि उसने चाकू निकालकर संतोष को शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर कई वार कर दिए। यह कृत्य *राजू* का एकल कृत्य था और इसमें अभियुक्त *मुन्ना* की कोई पूर्व सहमति या साझेदारी नहीं थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. *रमेश सिंह उर्फ फोट्टी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* (AIR 2004 SC 4545) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि *सामान्य आशय* मूलतः *मानसिक स्थिति* होती है, और ऐसे इरादे को प्रत्यक्ष साक्ष्य से सिद्ध करना अत्यंत कठिन होता है। अधिकांश मामलों में इसे अभियुक्तों की गतिविधियों, आचरण, और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति, आक्रमण की तीव्रता और समन्वय, तथा हमले के बाद के उनके व्यवहार से अनुमानित किया जाता है।यदि कोई अभियुक्त घटना *रोकने* का कोई प्रयास नहीं करता, तो यह भी *सामान्य आशय* दर्शा सकता है। परंतु, ऐसी स्थिति में *सभी परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन* कर ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या अभियुक्तों में साझादाण्डिकइरादा था।

13. *रमेश सिंह* (उपरोक्त) प्रकरण में यह भी निर्णय लिया गया था कि *यदि अभियुक्त केवल मृतक को पकड़े रहे और सह–अभियुक्त उस पर चाकू से प्रहार करता रहा,* तथा उस अभियुक्त ने उस प्रहार को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, तो यह *सामान्य आशय* दर्शाने वाला *अपरिहार्य/ अवश्यंभावी निष्कर्ष* हो सकता है। किंतु वर्तमान प्रकरण में *ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि अभियुक्त मुन्ना ने संतोष को पकड़ा हुआ था जब राजू ने उस पर चाकू से हमला किया*। धारा 161 दं. प्र. सं. के तहत दिए गए कथन तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श P 1) में इस बात का उल्लेख नहीं है, और अभियोजन गवाह *बलराम अ.सा. 7* की गवाही में किया गया यह कथन केवल *कहानी में सुधार* है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। घटनाक्रम की परिस्थितियाँ भी

यह स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि अभियुक्तगण ने *संतोष* की हत्या के लिए *किसी पूर्व योजना या साझा इरादे* से कमरे में प्रवेश *नहीं* किया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि *राजू* द्वारा *संतोष पर* चाकू से किंया गया हमला एकल एव *अचानक* किया गया कार्य था, जिसमें *मुन्ना* को *न* तो *चाकू होने की जानकारी* थी, *न ही* उसका राजू जैसा *आशय* था।

14. उपरोक्त साक्ष्य एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, यह हमारा सुविचारित मत है कि मुन्ना के विरुद्ध *भा.दं.सं* की धारा *34* के तहत *सामान्य आशय* सिद्ध नहीं होता। अभियुक्त मुन्ना केवल राजू के साथ उस स्थान पर गया था जहाँ वे सामान्यतः रात को सुप्त थे। मृतक संतोष से उसका कोई वैमनस्य नहीं था। *उसे* यह जानकारी भी नहीं थी कि राजू के पास चाकू है। यह घटना रात के अति विलंब समय पर घटित हुई थी। गवाह *धनेश्वर अ.सा. 2* तथा *बलराम अ.सा. 7* की गवाही भी यह दर्शाती है कि कमरे के भीतर अत्यधिक अंधकार था। संतोष के *शरीर पर ऐसे कोई चोट के निशान नहीं थे* जो *हाथ या मुक्कों* से मारने से उत्पन्न होते। *उसके शरीर पर केवल वही घाव थे जो तेज धार लिए हुए चाकू से संभव थे*।

15. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह भी नहीं दर्शाते कि राजू कमरे में चाकू लहराते हुए आया था। यह घटना एक *तुच्छ विवाद* के बाद उत्पन्न हुई झड़प के फलस्वरूप हुई जिसमें *राजू* ने *अचानक* चाकू निकालकर संतोष को कई बार प्रहार किया। इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम बिना किसी संकोच के यह कहते हैं कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि मुन्ना ने राजू के साथ मिलकर संतोष की *हत्या* करने का सामान्य आशय बनाया था। अतः *मुन्ना* की *भा.दं.सं* की धारा *302/34* के तहत दोषसिद्धि यथावत / स्थिर **नहीं** रखी जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. परिणामस्वरूप, *राजू द्वारा दाखिल अपील (आपराधिक अपील क्रमांक 552/1990)* ***खारिज*** की जाती है। *भा.दं.सं* की धारा 302 के अंतर्गत राजू की दोषसिद्धि और दंड ***यथावत*** रखे जाते है। *राजू पहले ही दंड पूर्ण कर चुका है*। *मुन्ना* द्वारा दाखिल अपील *(आपराधिक अपील क्रमांक 374/1990)* ***स्वीकार*** की जाती है। विचरण न्यायालय द्वारा पारित *मुन्ना उर्फ रघुनंदन की धारा 302/34 भा.दं.सं के* अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंड ***अपास्त*** किया जाता है। अतः *मुन्ना* उर्फ रघुनंदन को धारा 302/34 भा.दं.सं के आरोप से बरी किया जाता है।

सही
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
08.11.2005

सही
दिलीप रायसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
08.11.2005

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Anoop Kumar T. Sharma, Advocate